



55

1

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

क्रमांक २०४२-८-१५

रा.प्र.क्र. सन् २०

आवेदक

श्यामाचरण आत्मज मोतीलाल सोनकर,

निवासी – शास्त्री नगर, त्रिपुरी वार्ड, सगड़ा, जबलपुर
मोबा. नं. 9300465427

विरुद्ध

आनंद कुमार जैन पिता स्व. श्री स्वराज चंद जैन

निवासी – एच.आई.जी. 34, बाजनामठ नेहरू नगर,
त्रिपुरी वार्ड, जबलपुर

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

विचारण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार (नजूल) गोरखपुर, जबलपुर
द्वारा रा.प्र.क्र. 159 / अ-६ / 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 23-05-2015
से परिवेदित होकर आवेदक निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर पुनरीक्षण
आवेदन प्रस्तुत करता है।

तथ्य

1- यह कि ग्राम सगड़ा, न.ब. 421, प.ह.नं. 33, राजस्व निरीक्षक
मण्डल जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित ख.नं. 6, 7 रकवा 1.21
एकड़ भूमि कुंजीलाल पिता सेवाराम लोधी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज
थी जिसे उनके द्वारा श्री धनीराम व रामनाथ आत्मज परमेश्वरदयाल पाठक,
निवासी पुरवा तहसील व जिला जबलपुर को पंजीकृत बैनामा दिनांक 23.
06.1944 के माध्यम से विक्रय की गई थी। बैनामा की फोटो प्रति संलग्न
है।

2- यह कि पाठक परिवार के पारिवारिक बटवारा में उक्त भूमि 1.21
एकड़ में से 0.61 एकड़ भूमि श्रीमति सत्यवती पाठक बैवा रघुनाथ पाठक

का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2042-एक / 15

जिला - जबलपुर

स्थान दिनांक	एवं कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.3.2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री धर्मन्द चतुर्वेदी उपस्थित होकर उभयपक्ष के मध्य राजीनामा नवम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जबलपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उभयपक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के संबंध में समझौता हो गया है तथा उनके द्वारा शर्तों सहित व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में राजीनामा होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार टीप करें। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में रखा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	